

(23)

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद मथुरा में वृन्दावन-छटीकरा-राधाकुण्ड मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य के निर्माण में प्रस्तावित 3.1746 हे० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

Proposal No. - FP/UP/ROAD/47893/2020

1-	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
2-	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक, उप वन संरक्षक द्वारा दी गई सूचना से सहमत हैं।	सहमत
3-	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत प्रकरणों के साथ विशेष सिफारिशें -	कार्य जनहित में होने के कारण संस्तुति की जाती है।

दिनांक : 16.09.2020

स्थान : आगरा।

(के० प्रवीण राव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा वन संरक्षक
आगरा वृत्त आगरा।